Rs.2302 crores on new investment plans in 1997-98 under the following heads:

	(Rs. in crores)
(i) Refinery Division	1024.36
(ii) Pipeline Division	633.65
(iii) Marketing Division	396.65
(iv) Assam Oil division	64.27
(v) Petrochemicals	77.23
(vi) Research & Development	50.00
(vii) L.N.G. Project	5.00
(viii) Exploration & Production	50.00
(ix) Indian Oil Blending Divn.	1.5

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

Royalty on Crude Oil to Oil Producing States

3573. SHRI S.M. KRISHNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the amount of royalty on crude oil paid to Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Assam and other States having oilfields by the public sector oil companies and the ONGC during last three years, year-wise and State-wise;

(b) the quantity of crude oil produced by these states during the same period, year-wise;

(c) whether it is fact that fall in the production of crude, particularly in the North Sector, is attributed to administrative and financial mismanagement as the ONGC has not been paying the crude oil royalty to States if so, the reasons therefor; and

(d) whether the oil companies and the ONGC are facing paucity of funds; if so, the steps taken to remove the reosurce crunch?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

रसोई गैस वितरण प्रणाली में खामियां

3574. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत कुछ वर्षों से रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करने की वर्तमान व्यवस्था में भारी खामियां होने से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि रसोई गैस उपभोक्ताओं को भरे हुए सिलेंडर के लिए एक निश्चित अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ड़) यदि हां, तो वह अवधि कितनी है और इस अवधि के निर्धारण का क्या आधार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालु) : (क) जी, हां। कुछ शिकायतें और सुझाव प्राप्त होते रहते हैं।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के निरीक्षण और आपूर्तियों की निगरानी की प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण प्रणाली पर सतत निगरानी रखती है। कांडला और मंगलौर एल पी जी आयात टर्मिनलों के आरम्भ होने के पश्चात अक्तूबर, 1996 के बाद से थोक एल पी जी उपलब्धता में बहुत सुधार हुआ है। वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) देश में एल पी जी की बढ़ी हुई उपलब्धता की सहायता से नया त्वरित एल पी जी नाणांकन आरम्भ करने की योजना है।

2. एल पी जी बाजारों में वृद्धि का अनुमान मुख्य रूप से पैक्ड आपूर्ति के लिए लगाया गया है, इसलिए 1.1.97 तक लगभग 3.24 एम एम टी पी ए की एल पी जी भरण क्षमता को नौवीं योजना के अंत तक 7.57 एम एम टी पी ए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

3. एल पी जी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित नए बाजारों में नए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति करने की योजना बनाई है।

(घ) और (ङ) वर्तमान समय में देश में एल पी जी की मांग कमोवेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा ग्राहकों को एल पी जी रीफिलों की आपूर्ति करने से संबंधित मानदंड नीचे दिया जा रहा है:

(1) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों को सामान्यतया ग्राहकों द्वारा बुकिंग कराने के 24 घंटों के भीतर रीफिल की आपूर्ति करनी होती है।

(2) सितम्बर, 1996 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को किसी ग्राहक को दो लगातार एल पी जी रीफिलों की आपूर्ति की बीच कम से कम 21 दिन का अंतराल बनाए रखने का परामर्श दिया क्योंकि एक एल पी जी सिलेंडर सामान्य उपयोग में किसी सामान्य घर में 21 दिन से अधिक चलता है। अधिक आपूर्ति करने से घरेलू एल पी जी, जिस पर अत्यधिक राजसहायता दी जाती है का अनधिकृत उपयोग के लिए विपथन होने लगता है।

LPG Distributors in Faridabad

3575. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of LPG distributors of various oil companies in Faridabad;

(b) whether complaints are often received regarding improper supply of cylinders to consumers and broken seals; and

(c) whether gas cylinders are also black-marketed, depriving the bonafide consumers; if so, the details thereof and the action taken in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) 22 LPG distributorships are functioning in Faridabad District of Haryana. Names of the distributorships are given below:

Indian Oil corporation Limited

(1) K.D. Enterprises

(2). Aarti Flame

(3). Lal Enterprises

(4). Jangjeet Enterprises

(5). Aggama Gas

(6). Rich Flame

(7). Bindoo Gas Service

(8). Prarthang Enterprises

(9). Pradeep Gas

(10). Uday Deep Gas

Hindustan Petroleum Corp. Limited

11. Allied Agencies

(12). Confed Gas service

(13). Jaikishan Sewa Sadan

(14). Om Gas service

(15). Sikka Enterprises

(16). Sumit Enterprises

Bharat Petroleum Corp. Ltd.

(17). Anil Enterprises

(18). Adlakha Gas Agency

(19). La Flame Enterprises

(20). Raj Gas service

(21). Neelam Enterprises

(22). Sai Gas Service

(b) Complaints are received from time to time against different LPG distributorships including LPG distributorships in Faridabad alleging various malpractices. In established cases, suitable penal action in line with Marketing Discipline Guidelines is taken by the oil companies.

(c) Oil companies have reported that they have not received any complaint about black marketing of LPG cylinders in Faridabad Disitt.

Role of ONGC and oil in the new oil exploration policy

3576. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the role of ONGC and OIL India Limited as against the private companies in the new exploration and licensing policy in the petroleum sector;